बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली

दिनांक 30/6/22 को पेश हो।

30/6/22 वकील प्रार्थी उप0। दीगर कार्यों में व्यस्त होने से निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 13/7/22 को पेश हो।

13/7/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम ज्योतिवानगर पटवार हल्का चला तहसील नीमकाथाना स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 161 खसरा सं0 616/487 की खातेदारी में 98/113 हिस्से में प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र बनवारीलाल दर्ज है व शेष 15/113 हिस्से में राजेश चौधरी पुत्र बनवारीलाल दर्ज है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम चला स्थित भूमि खसरा सं0 1945/1940 में भी प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र बनवारीलाल दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेश चौधरी पुत्र बनवारीलाल है तथा समस्त सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम राजेश चौधरी ही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि की प्रतियां पेश की जिनमें प्रार्थी का नाम राजेश चौधरी पुत्र बनवारीलाल अंकित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि

1. विवादित आराजी खसरा नं. 616/487 रकबा 1.13 स्थित ग्राम ज्योतिवानगर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारान के नाम निम्न प्रकार दर्ज हैं–

   राजेश पुत्र बनवारीलाल हिस्सा 98/113 जाति जाट सा. देह खातेदार

   राजेश चौधरी पुत्र बनवारीलाल हिस्सा 15/113 जाति जाट सा. अखेपुरा जयपुर खातेदार

2. इसी प्रकार विवादित आराजी खसरा नं. 1945 / 1940 रकबा 0.1225 है.ए0 किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ स्थित ग्राम चला के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार का नाम राजेश पुत्र बनवारीलाल हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड की प्रति में प्रार्थी का पता अखेपुरा जयपुर दर्ज है। तथा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उसमें निवासी चला अंकित किया है जिससे प्रार्थी यह सिद्ध नही कर सका कि राजेश पुत्र बनवारीलाल निवासी चला व राजेश चौधरी पुत्र बनवारीलाल जाति जाट सा. अखेपुरा जयपुर एक ही व्यक्ति है।
4. ग्राम चला स्थित भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित है जो प्रार्थी के आवेदन पर ही संपरिवर्तित की गयी है।
5. वादग्रस्त आराजीयात में समर्पण, विभाजन, दान, संपरिवर्तन आदि के नामान्तरकरण के नोट अंकित है। प्रार्थी यह भी बताने में असफल रहा कि पूर्व में उक्त प्रकियाओं में नाम शुद्धि की आवश्यकता क्यों नही हुयी।
6. प्रार्थी यह भी बताने में असफल रहा कि राजस्व रिकार्ड बनाते समय राजस्व कार्मिको से कब व क्या त्राुटि हुयी है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 चलने योग्य नही है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज कर निर्णित किया जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner